

प्रेषक,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

सेवा मे,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

पत्रांक/आ0कै0का0/क्षे0का0मे0/

/एन0ओ0सी0/2011-12 दिनांक 13/06/11

विषय: नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बंधित आपके पत्रांक/सम्बद्धता/3517/दिनांक 03/01/11 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2284/सत्तर-2-2009-2(166)/2002, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक 29 जून, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक् विचारोपरांत **इन्द्रप्रस्थ लॉ कालेज, के0पी0-3, ग्रेटर नौयडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर को विधि संकायान्तर्गत एल0एल0बी0(तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम** में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है :-

- (1) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
- (2) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थान शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या-193/सत्तर-2-2003-2(166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या-585मु0मं0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर 2005 एवं शासनादेश संख्या-743मु0मं0/सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बंधी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएँ एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगी।
- (3) उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।
- (4) संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।
- (5) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(2)

- (6) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ेन वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
- (7) मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की मूल प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से कय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
- (8) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम/मोहल्ला- प्लाट न0-7, के0पी0-3, ग्रेटर नौयडा जनपद-गौतमबुद्धनगर में अवस्थित 2000 वर्ग मी0 भूमि में नियमानुसार सम्बंधित विकास प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा और बार कॉउंसिल ऑफ इण्डिया से भी विधिवत अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- (9) ट्रस्ट/सोसायटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बंधी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।
- (10) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार प्राविधानित मानको के अनुरूप भवन का निर्माण एवं अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
कृपया उपर्युक्तनानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)

आयुक्त,

मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या / 1160-66 / 2011-12 / तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- 5- सचिव/प्रबंधक, इन्द्रप्रस्थ लॉ कालेज, के0पी0-3, ग्रेटर नौयडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर।
- 6- गार्ड फाईल।

(डॉ0बी0एन0शुक्ला)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
मेरठ।